

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम  
केस संख्या- दावा 1.0.2.../2015

31/03/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 30.03.2022 को उभयपक्षों की बहस वास्ते आपत्ति कुर्रैजात सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने प्राप्त कुर्रैजात अनुरार अंतिम डिकी हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने सर्वप्रथम यह अभिवचन किये कि उनकी पूर्ण तामील नहीं करवायी गई, जिसके जवाब में वादी ने स्वयं निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के मकान विवादग्रस्त भूमि में ही बने हुये हैं व प्रतिवादी वहीं रहते हैं, जिस बाबत वकील प्रतिवादी ने भी सहमति दी। वादी अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी तामील लेने से मना करते है, वह बाकी समय तो न्यायालय में हर तारीख पर उपस्थित होते है व केवल कुर्रैजात बाबत उनको जानकारी न हो, ऐसा संभव नहीं है। प्रतिवादी स्वयं विवादग्रस्त भूमि पर रहते है व जब उस भूमि की नाप जोख हेतु तहसीलदार वहां उपस्थित हुये तो प्रतिवादीगण को उराकी पूर्ण जानकारी थी।

प्रतिवादी की पेश यह आपत्ति को कंसीडर कर न्यायालय ने प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रस्तुत कुर्रैजात पर अपनी आपत्ति पेश करने हेतु कहा ताकि सभी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उचित निर्णय किया जा सके।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तुत कुर्रैजात में उनको उनके हिस्से अनुसार बराबर जमीन दी गई है व सडक से लगता बराबर हिस्सा मिला है जिसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रस्तावित कुर्रैजात से उन्हें केवल इतना ऐतराज है कि वादी-प्रतिवादी की भूमि के गध्य जो विभाजन रेखा है उसो सीधा न रख चन्द्राकार में रखा जाये क्योंकि प्रतिवादी द्वारा कुछ विशेष भाग का पट्टे काट कर बेचान कर दिया गया है। इस पर वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि की उभयपक्षों के हिस्से अनुसार व मीट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार राही विभाजन हुआ है जिस बाबत प्रतिवादी अधिवक्ता को भी कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु विवादग्रस्त भूमि जब तक अविभाजित है तब तक हर एक खातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर का हिस्सा है व कोई भी सहखातेदार अपने हिस्से तक का बेचान ही कर सकता है व किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान करने का अधिकारी नहीं है।

न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस का मनन कर पाया कि प्रस्तावित कुर्रैजात सहखातेदारों के हिस्से अनुसार व मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बनाई गई है, जिस बाबत किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रतिवादी ने जो आपत्ति पेश की, निर्धारित विभाजन रेखा को सीधा न रख चन्द्राकार में रखा जाये को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वप्रथम विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व बोर्ड अजमेर) के नियम 18 से 21 के अनुसार किया जाता है जिसके नियम 20 बी स्पष्ट करता है कि "portion allotted should be as compact as possible."

अतः सीधी विभाजन सीमा रहते भूमि जोत सघन (एकसार) रहती है व आगे भी सीमा विवाद होने की संभावना कम होती है। दूसरा अहम बिंदु यह है कि अविभाजित कृषि भूमि पर



अशरफुल्लाह बंशर (आर.स.स.स.)  
सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम


..... बनाम ..... वगै.

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या- दावा ..... / 20

किसी वैधानिक रूपांतरण बिना, सहखातेदारों की सहमति बिना पट्टे देने का किसी भी सहखातेदार को अधिकार नहीं है।

अतः प्रतिवादी की यह आपत्ति खारिज कर तहसीलदार जयपुर के पत्रांक क्रमांक भूअ./कुरे/22/1287 दिनांक 11.03.2022 द्वारा प्रस्तावित कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अंतिम डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम